कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त,राजस्थान,जयपुर ।

क्रमाक/फा/भूप्रआ/समु/भूकर/.11/2/3/2013–14/पार्ट–II/ दिनांकः–

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
जयपुर ।

विषयः–अधिसूचना की प्रतियां भिजवाने बाबत ।
प्रसंग :–संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1)विभाग,जयपुर का पत्र क्रमाक प.13(30)राज–1/2013 दिनांक 28.6.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.6.2017 से धारा 106, 107, 108, 142 व 145 के अन्तर्गत नवसृजित ग्राम सांभर झील नांवा तहसील नांवा जिला नागौर व सांभर झील फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर की प्राप्त बन्द की अधिसूचना की छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन नक्शा/अभिलेख संबधित जिला कलक्टर को अविलम्ब सम्भलाया जाकर सूचना मुख्यालय को प्रेषित करावें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

ह0
(अरूण गर्ग)
अति0भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान,जयपुर
दिनांकः– 20-7-2017

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 1893
प्रतिलिपिः–

1– प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

अति0भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान,जयपुर

**राजस्थान सरकार**

**राजस्व (ग्रुप–1) विभाग**

क्रमांक : प0 13(30)राज.–1/2013 जयपुर, दिनांक 28 JUN 2017

**–: अधिसूचना :–**

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–145 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एत्‌द्‌द्वारा निर्देश देती है कि इसी धारा के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 13(30)राज./ग्रुप–1/2013 दिनांक 14.03.2016 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को अधिसूचना दिनांक 07.08.2013 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 धारा 106 में वर्णित क्षेत्र का पुनः भू–प्रबन्ध किये जाने हेतु निद्रिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त धारा 106 की अधिसूचना में वर्णित क्षेत्रों का पुनः भू–प्रबन्ध कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु की गई नियुक्ति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एस.आर.पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर/अजमेर/नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2013–14/पार्ट–II/1427 दिनांक 12.06.2017
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग राज. जयपुर
पत्र–प्राप्त
17 JUL 2017
क्रमांक 466

P.T.O.

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(30)राज.–1 / 2013 जयपुर, दिनांक 28 JUN 2017

## –: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला जयपुर तहसील सांभर लेक के ग्राम कोरसीना, त्योद, काजीपुरा, सिवानियां, सांभर, बरोठी, विरावता, रिणगी, जिला अजमेर की तहसील रूपनगढ़ के ग्राम झाग, आऊ, सिनोदिया एवं जिला नागौर की तहसील नांवा के ग्राम कुणी, गुढा साल्ट, उलाणा, बबली, मीठडी, रवारडिया, मोहनपुरा, नांवा, जाबदीनगर, खाकरकी की सीमाओं के बाहरी क्षेत्र, जो नवसृजित ग्राम झील नांवा व झील फुलेरा जिसकी सरहद के मध्य स्थित क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु विभाग की अधिसूचना कमांक प0 13(30)राज. / ग्रुप–1 / 2013 दिनांक 07.08.2013 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 प्रसारित की गई थी, नवसृजित ग्राम सांभर झील नांवा तहसील नांवा जिला नागौर व सांभर झील फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर (अधिसूचना कमांक प0 9(2)राज–1 / 2016 दिनांक 24.11.2016 एवं प0 9(24)राज–1 / 16 दिनांक 24.11.2016 द्वारा घोषित नवीन राजस्व ग्रामों) का सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण अभिलेखन कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एस.आर.पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर / अजमेर / नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 3 / 2013–14 / पार्ट– II / 1427 दिनांक 12.06.2017
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय भू-प्रबन्ध ... राज., ...
पत्र–प्राप्त
463
क्रमांक ........................

# राजस्थान सरकार
## राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(30)राज.–1 / 2013 जयपुर, दिनांक 28 JUN 2017

### –: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 एवं 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 13(30)राज. / ग्रुप–1 / 2013 दिनांक 07.08.2013 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 द्वारा धारा 106 में वर्णित क्षेत्रों के ग्रामों (नवसृजित ग्राम सांभर झील, नांवा तहसील नांवा, जिला नागौर एवं सांभर झील फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर) के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य उक्त अधिसूचना द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त क्षेत्रों (धारा 106 में वर्णित अनुसार) के अभिलेखों का पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना को प्रसारित होने के दिनांक से उक्त क्षेत्र के अभिलेखों के आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य को बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एस.आर.पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर / अजमेर / नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 3 / 2013–14 / पार्ट– II / 1427 दिनांक 12.06.2017
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक 464

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(30)राज.–1 / 2013 जयपुर, दिनांक 28 JUN 2017

## —: अधिसूचना :—

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला जयपुर की तहसील सांभर लेक जिला अजमेर की तहसील रूपनगढ एवं जिला नागौर की तहसील नांवा के ग्राम जिनका उल्लेख उक्त अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प0 13(30)राज / 1 / 2013 दिनांक 07.08.2013 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 को प्रसारित अधिसूचना में वर्णित है। इनकी सीमाओं के बाहरी क्षेत्र जो नवसृजित ग्राम झील नांवा व झील फुलेरा जिनकी सरहद के मध्य स्थित क्षेत्र का पुनः बन्दोबस्त कार्य अधिसूचना प0 13(30)राज / 1 / 2013 दिनांक 14.03.2016 प्रसारित होने की दिनांक से प्रारम्भ किया गया था चूंकि उक्त क्षेत्र का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस सूचना के प्रसारित होने की दिनांक से उक्त नवीन राजस्व ग्रामों सांभर झील नांवा तहसील नांवा जिला नागौर, सांभर झील फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर (अधिसूचना प0 9(2)राज–1 / 2016 दिनांक 24.11.2016 एवं प0 9(24)राज–1 / 2016 दिनांक 24.11.2016 द्वारा घोषित नवीन राजस्व ग्रामों) का पुनः भू–प्रबन्ध कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एस.आर.पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर / अजमेर / नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 3 / 2013–14 / पार्ट– II / 1427 दिनांक 12.06.2017
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

7 JUL 2017

465

RR/83
17/7/17